न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र रतनचन्द जी जैन, निवासी-मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र रतनचन्द जी जैन, निवासी-मण्डार, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सलीम खां पुत्र मोबिन खां जी मुसलमान, निवासी-मण्डार, तह. रेवदर, जिला-सिरोही
2. ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मण्डार, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 03/2015

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र डी. सुराणा, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 08 जून, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां पुत्र मोबिन खां मुसलमान, निवासी- मण्ड़ार के पक्ष में क्षेत्रफल 24 वर्गफीट भूमि का पंचायत संकल्प संख्या 8 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (सलीम खां) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 (सलीम खां) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 2 (ग्राम पंचायत, मण्डार) की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार राजपुरोहित उपस्थित हुये, लेकिन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 (ग्राम पंचायत, मण्डार) की ओर से जवाब प्रस्तुत नही हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के मकानात ग्राम मण्डार में आये हुये है, जो प्रार्थीगण के पुश्तैनी मालकी अधिकार की पट्टेशुदा भूमि पर निर्मित है। प्रार्थीगण के उक्त मकानात से लगता हुआ 4x6 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में आम नीलामी में रुपये 25,632/- में विक्रय किया जाना दर्शाते हुए संकल्प संख्या 8 दिनांक 08.10.2010 के अनुसरण में पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टे में मिसल संख्या 89 दिनांक 21.11.2005

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

को दायर होना दर्शाया है एवं पट्टा जारी करने का संकल्प दिनांक 08.12.2010 को पारित किया जाना दर्शाते हुए पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया गया है, जो मिसल दायर होने के 9 वर्ष बाद जारी किया गया। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में नीलामी दर्शाते हुए पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 में दर्शाये अनुसार नीलाम की गई भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण के पिता रतनचन्द जी के नाम से पट्टेशुदा सम्पति है एवं प्रार्थीगण के पिता की इस पट्टेशुदा भूमि पर निर्मित भवन के पूर्व दिशा में आम रास्ता है व आम रास्ते की भूमि को नीलाम करना एवं उसका पट्टा जारी करना विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 के अर्न्तगत क्रेता को भूमि क्रय करने हेतु विधि अनुसार आवेदन करना होता है एवं नजरी नक्शा तैयार करवाने का शुल्क जमा करवाना पडता है, लेकिन अप्रार्थी संख्या-1 ने ग्राम पंचायत में आवेदन व नक्शा तैयार करने का निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 146 के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु न तो तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित की है तथा न ही उन तीन वार्ड पंचों ने भूमि का मौका निरीक्षण किया है, जिससे पट्टा जारी करने की समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकानात विक्रय की जाने वाली भूमि से सटे हुये है जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकानात में आवागमन के आने जाने के अधिकार विक्रय की गई भूमि से बाधित हो रहे है तथा प्रार्थीगण के मकानात की सुन्दरता व भव्यता नष्ट हो रही है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि प्रार्थीगण के पिता के पट्टो में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में रास्ता होना दर्शाया है एवं इस रास्ते की भूमि का विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि प्रार्थीगण के पिता रतनचन्द जी ने दिनांक 05.11.2005 को अर्थात् अप्रार्थी सलीम खां के आवेदन के पूर्व इसी भूमि को क्रय करने हेतु ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन विवादित भूमि को ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने रास्ता भूमि होना बताते हुए प्रार्थीगण के पिता को पट्टा जारी नही किया और अप्रार्थी सलीम खां को इसी भूमि का विक्रय कर पट्टा जारी कर दिया है, जो गलत है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में भूमि क्रय करने हेतु अप्रार्थी सलीम खां से पहले आवेदन प्रार्थीगण के पिता ने किया था एवं यदि ग्राम पंचायत, मण्डार इस भूमि को रास्ते की भूमि होना नही मानती थी तो भू पट्टी के रुप में भूमि का पट्टा प्राप्त करने का प्रथम हक अधिकार प्रार्थीगण के पिता का था, फिर भी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने अप्रार्थी सलीम खां को विवादित भूमि का पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरुद्ध है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सलीम खां के पक्ष में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (सलीम खां) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा राजस्थान पंचायती राज

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत की 6x4 वर्गफीट पडत आबादी भूमि का आम नीलामी में खुली बोली के जरिये विक्रय अप्रार्थी सलीम खां को किया गया। अप्रार्थी सलीम खां द्वारा उक्त 6x4 वर्गफीट पंचायत की पडत आबादी भूमि को नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर क्रय किया गया एवं बोली की राशि रुपये 25,632/- अप्रार्थी सलीम खां द्वारा पंचायत कोष में जमा कराये जाने के बाद ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा नीलामी का अनुमोदन करवाया जाकर पंचायत संकल्प संख्या 8 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को नियमानुसार जारी किया गया है। प्रार्थीगण के मकानात प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 के पश्चिम दिशा में मौके पर अवश्य बने हुए है, परन्तु प्रार्थीगण के उक्त मकानात वर्ष 2015 में ही बनाये गये है। ग्राम मण्ड़ार में प्रार्थीगण के मकानात के पूर्व दिशा में स्थित पंचायत की पडत आबादी भूमि में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां के पिता मोबिन खां को क्षेत्रफल 12x12 फीट केबिन भूमि दिनांक 25.9.1963 को किराये पर दी थी तब से इस भूमि पर अप्रार्थी सलीम खां के पिता मोबिन खां मौके पर काबिज होकर अपना व्यवसाय करते आ रहे थे एवं अप्रार्थी सलीम खां के पिता की मृत्यु के बाद मौके पर अप्रार्थी सलीम खां उक्त केबिन भूमि में पान व गोली बिस्किट आदि का व्यवसाय करते आ रहा है। इस प्रकार, उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सलीम खां का अपने पिता मोबिन खांजी के समय से वर्ष 1963 से लगातार कब्जा बतौर किरायेदार चला आ रहा था। इस केबिन भूमि जो पंचायत की पडत आबादी भूमि है को ग्राम पंचायत, मण्ड़ार से अप्रार्थी सलीम खां ने आम नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर क्रय किया गया है जिसका ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां के पक्ष में पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया गया है। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण ने को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी रही है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सलीम खां वर्ष 1963 से अपने पिता मोबिन खां के जरिये लगातार बतौर किरायेदार काबिज चला आ रहा है, लेकिन इतने वर्षो में प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता ने कभी कोई आपत्ति नही की एवं न ही उक्त भूमि के नीलामी कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की। प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता ने उक्त भूमि की नीलामी में भाग भी नही लिया और नीलामी कार्यवाही के पांच वर्ष बाद यह निगरानी प्रार्थना पत्र मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो अतिशय से विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कानूनन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी सलीम खां के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि रास्ते की भूमि नही है, बल्कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की पडत आबादी भूमि है जो बिल्डिंग लाईन में है। मौके पर आम रास्ता प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 की भूमि के पूर्व दिशा में आगे ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नाली से आगे की ओर है, जहां पर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा सी.सी.रोड निर्मित है। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रार्थीगण के पिता रतनचंद जी स्वयं ने दिनांक 05.11.2005 को पश्चिम दिशा में स्थित उक्त विवादित भूमि को पडत भूमि बताते हुए क्रय करने हेतु आवेदन किया था। इस प्रकार, प्रार्थीगण के पिता ने इस तथ्य को खुद स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पड़त भूमि है, न कि रास्ते की भूमि है।

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी विवादित भूमि को रास्ते की भूमि नही होना बताया है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा संबंधित आज्ञापक प्रावधानों का पूर्णत: पालन करते हुए भूमि का विक्रय कर अप्रार्थी सलीम खां के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां को विवादित भूमि का पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया है, जिसकी आड में अप्रार्थी सलीम खां द्वारा मौके पर नीवं खोदने पर प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में जानकारी होते ही वर्ष 2015 में यह निगरानी प्रार्थना पत्र समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सलीम खां ने जो किरायेदारी की रसीद प्रस्तुत की है उनसे यह साबित नही होता है विवादित भूमि ही अप्रार्थी सलीम खां के पिता को ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गई हो। प्रार्थीगण के पिता ने विवादित भूमि क्रय करने हेतु अप्रार्थी सलीम खां से पहले ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में आवेदन किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने रास्ता भूमि होना बताकर प्रार्थीगण के पिता को पट्टा जारी नही किया व अप्रार्थी सलीम खां को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया। यदि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार विवादित भूमि को पड़त भूमि मानती है तो उक्त भूमि क्रय करने का प्रथम अधिकार प्रार्थीगण का है, लेकिन ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अप्रार्थी सलीम खां को विवादित भूमि का पट्टा जारी कर दिया, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के जवाब के कथनों में अप्रार्थी सलीम खां के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 से संबंधित भूमि को आम नीलामी के माध्यम से विक्रय किया है एवं इच्छुक व्यक्ति स्वयं ही खुली नीलामी में भाग ले सकता है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 की भूमि की नीलामी के दौरान नीलामी में भाग नही लिया है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा क्षेत्रफल 4x6 फीट कुल 24 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी सलीम खां पुत्र मोबिन खां मुसलमान, निवासी- मण्ड़ार को राशि रुपये 25,632/- में विक्रय किया जाकर पंचायत संकल्प संख्या 8 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.10.2014 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 में दर्शाये अनुसार नीलाम की गई भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण के पिता रतनचन्द जी के नाम से पट्टेशुदा सम्पति है एवं प्रार्थीगण के पिता की इस पट्टेशुदा भूमि पर निर्मित भवन के पूर्व दिशा में आम रास्ता है व आम रास्ते की भूमि को नीलाम करना एवं उसका पट्टा जारी करना विधि विरुद्ध है।'' प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि ''प्रार्थीगण के पिता ने विवादित भूमि क्रय करने हेतु

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी सलीम खां से पहले ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में आवेदन किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने रास्ता भूमि होना बताकर प्रार्थीगण के पिता को पट्टा जारी नही किया व अप्रार्थी सलीम खां को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया। यदि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार विवादित भूमि को पड़त भूमि मानती है तो उक्त भूमि क्रय करने का प्रथम अधिकार प्रार्थीगण का है।'' जबकि अप्रार्थी सलीम खां का मुख्यत: कथन यह है कि ''ग्राम मण्ड़ार में प्रार्थीगण के मकानात के पूर्व दिशा में स्थित पंचायत की पडत आबादी भूमि में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां के पिता मोबिन खां को क्षेत्रफल 12x12 फीट केबिन भूमि दिनांक 25.9.1963 को किराये पर दी थी तब से इस भूमि पर अप्रार्थी सलीम खां के पिता मोबिन खां मौके पर काबिज होकर अपना व्यवसाय करते आ रहे थे एवं अप्रार्थी सलीम खां के पिता की मृत्यु के बाद मौके पर अप्रार्थी सलीम खां उक्त केबिन भूमि में पान व गोली बिस्किट आदि का व्यवसाय करते आ रहा है।'' अप्रार्थी सलीम खां का यह भी कथन है कि ''प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि रास्ते की भूमि नही है, बल्कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की पडत आबादी भूमि है जो बिल्डिंग लाईन में है। मौके पर आम रास्ता प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 की भूमि के पूर्व दिशा में आगे ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नाली से आगे की ओर है, जहां पर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा सी.सी.रोड निर्मित है।''

प्रकरण में अप्रार्थी सलीम खां द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में जमा कराये गये किराये की रसीदों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सलीम खां के पिता मोबिन खां को ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा विवादित भूमि किराये पर दी गई। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के पत्र क्रमांक/पंसरे/विधि शाखा/2018/446 दिनांक 23.2.2018 के द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी सलीम खां द्वारा ग्राम पंचायत की रसीद क्रमांक 14/14.7.1992 की खालसा भूमि किराया की जून, 92 तक 13 माह तक किराया रसीद प्रस्तुत की है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर सलीम खां किरायेदार के रुप में एक अस्थाई केबिन लगा कर बैठा है एवं वर्ष 1992 से पूर्व से ही काबिज रहा है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त जारी पट्टे में वर्णित भूमि आम रास्ता की भूमि नही रही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र कुमार स्वयं को भी उक्त भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा में भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है जिसके अनुसार भी यह भूमि रास्ते की भूमि प्रतीत नही होती है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि वर्तमान मौका स्थिति अनुसार प्रथम दृष्टया रास्ते की भूमि होना प्रतीत नही होता है। मकान के सामने सेट बेक छोडा हुआ प्रतीत होता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा उक्त रिपोर्ट के संलग्न पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर तथा ग्राम पंचायत, मण्डार के सरपंच एवं ग्रामसेवक पदेन सचिव की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गई है। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के सरपंच तथा ग्रामसेवक पदेन सचिव की उक्त संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 में

.....पेज छ: पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अंकित नजरी नक्शें के अनुसार प्रार्थी जितेन्द्र कुमार के आवासीय मकान के आगे की भूमि एवं लक्ष्मी मंदिर से नीलकंठ महादेव जाने वाला मुख्य बाजार सड़क के मध्य स्थित भूमि का अप्रार्थी सलीम खां को पट्टा जारी किया गया है व प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि के आगे नाली निर्मित है व नाली से आगे उक्त लक्ष्यमी मंदिर से नीलकंठ महादेव जाने वाला मुख्य बाजार सड़क है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 के अनुसार ग्राम पंचायत, मण्डार के सरपंच व वार्ड पंचों द्वारा सलीम खां पुत्र मोबिन खां मुसलमान, निवासी- मण्डार के ग्राम पंचायत की किराये पर दी खालसा भूमि का पट्टा बनाने के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15.11.2010 को भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रार्थी के स्वयं की पान मसाला की दुकान चला रहा है, दुकान पक्की ईटो से बनी हुई है जो लगभग वर्षो पुरानी है। मौके पर सलीम खां के दुकान के आगे नाली व सी.सी.रोड बना हुआ है। सलीम खां की दुकान के पूर्व दिशा में नाली व सी.सी. रोड से निर्मित बाजार का आम रास्ता है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 में यह भी अंकित किया हुआ है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी (सलीम खां) को इस खालसा भूमि दुकान का पट्टा बनाकर दिया जाये तो शहर की सुन्दरता, आम रास्ते, पडौस के लोग किसी प्रकार से प्रभावित नही होंगे।

इस प्रकार, प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 व ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 के अनुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सलीम खां को ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह मौका स्थिति अनुसार रास्ते की भूमि नही है, बल्कि आम रास्ता प्रश्नगत पट्टा संख्या 35 की भूमि के पूर्व दिशा में निर्मित नाली से आगे स्थित है। प्रकरण में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2010 के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी सलीम खां को प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि का मौका निरीक्षण कर मौके की जांच की गई है।

जहां तक, प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी सलीम खां को विवादित भूमि का पट्टा जारी करने से प्रार्थीगण के मकानात में आवागमन के अधिकार प्रभावित होंगे। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि यदि प्रार्थीगण के मकानात में आवागमन के सुखाचार किसी प्रकार से प्रभावित होते है, तो इस हेतु प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोहि कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 08.06.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही